

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2011/पौष 29, 1932

No. 97]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2011/PAUSA 29, 1932

## कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2011

का.आ. 107(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनी या कम्पनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानक राष्ट्रीय सलाहकार सिमिति नाम से जात सलाहकार सिमिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

1.	श्री एम.	एम. चिटाले
		• • • •

<sup>-</sup>अध्यक्ष

चार्टड अकाउंटेंट

(तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन।

2. श्री जी. रामास्वामी

सदस्य

अध्यक्ष, भारतीय चार्टड अकाउंटेंट संस्थान

(तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामित]

3. श्री अनिल मुरारका

सदस्य

अध्यक्ष, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

(तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामित]

श्री बृज मोहन शर्मा

सदस्य

अध्यक्ष, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामित]

5. श्री पी. आर. रविमोहन

सदस्य

प्रभारी प्रमुख महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक

(तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामित]

श्री सरित जफा

सदस्य

प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)

(तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नामित [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामित]

7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा नामित	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामित]
8.	श्री सुनील गुप्ता संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा नामित	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामित]
9.	श्री अशोक हिल्दिया दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इॅंडिया द्वारा नामित	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामित]
10.	श्री एस सं <mark>थानाकृष</mark> ्णन भारतीय उद्योग संघ द्वारा नामित	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामित]
11.	श्रीमती ऊषा नारायणन कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामित]
12.	श्रीमती रेणुका कुमार संयुक्त सचिव कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य (तारीख 31-1-2012 तक पदधारण करेंगे) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामित]
2.	यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त होगी।	

[फा. सं.-1/5/2001-सीएल-V]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Dellii, the 19th January, 2011

S.O. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:—

1.	Shri M. M. Chitale, Chartered Accountant	Chairperson, (shall hold office up to 31-1-2012) [under clause (a) of sub-section (2) of section 210A]
2.	Shri G Ramaswamy, Nominee of the Institute of Chartered Accountants of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
3.	Sh. Anil Murarka, Nominee of the Institute of Company Secretaries of India	Member, (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
4.	Shri Brij Mohan Sharma, Nominee of the Institute of Cost and Works Accountants of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]
5.	Shri. P.R. Ravi Mohan, Chief General Manager, Nominee of the Reserve Bank of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (d) of sub-section (2) of section 210A]

6.	Shri Sarit Jafa, Principal Director (Commercial Audit), Nominee of the Comptroller and Auditor-General of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 210A]
7.	Nominee of the Indian Institute of Management, Kolkata	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (f) of sub-section (2) of section 210A]
8.	Shri Sunil Gupta, Joint Secretary, M/o Finance, Nominee of the Central Board of Direct Taxes	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (g) of sub-section (2) of section 210A]
9.	Sh. Ashok Haldia, Nominee of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]
10.	Sh. S. Santhanakrishnan, Nominee of the Confederation of Indian Industry	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]
11.	Smt. Usha Narayayan, Executive Director, Securities & Exchange Board of India	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 210A]
12.	Smt. Renuka Kumar Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	Member (shall hold office up to 31-1-2012) [nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A]

2. This notification shall take effect from 1st February, 2011.

[F. No. 1/5/2001-CL. V]

Dr. T. V. SOMANATHAN, Jt. Seey